भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3349

12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

राजामुन्दरी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

3349. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजामुन्दरी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति और स्वच्छ भारत मिशन **2.0** के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है**;**

(ख) डंपिंग यार्ड में एकत्रित अपशिष्ट के निपटान का ब्यौरा क्या है**;**

(ग) स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग करने और घरेलू खाद बनाने को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं**;**

(घ) शहर में अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र या जैव-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है**;** और

(ङ) राजामुन्दरी की **'**अपशिष्ट मुक्त शहर**'** स्टार रेटिंग में सुधार के लिए सरकार ने क्या पहल की है**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): राज्य द्वारा स्वच्छतम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, राजमुंदरी यूएलबी में, 100% वार्डों में घर-घर जाकर संग्रहण और स्रोत पृथक्करण किया जाता है और प्रति दिन उत्पन्न कुल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100% प्रसंस्करण किया जा रहा है अर्थात प्रति दिन उत्पन्न 144.77 टीपीडी अपशिष्ट में से 144.77 टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण (टीपीडी) किया जाता है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य ने राजमुंदरी यूएलबी में कुल 5.12 लाख टन के अपशिष्ट वाले केवल एक डंपसाइट की सूचना दी है, जिसमें से 4.12 लाख टन अपशिष्ट का पहले ही प्रसंस्करण किया जा चुका है।

(ग) : कचरा मुक्त शहरों की परिकल्पना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अंतिम व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने और नागरिकों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करने और त्योहारों, सार्वजनिक समारोहों, बाजारों और संस्थागत कार्यक्रमों में शून्य अपशिष्ट कॉलोनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें अपशिष्ट मुक्त सार्वजनिक स्थानों को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य स्रोत पृथक्करण, साइट पर खाद बनाने और सामग्री की पुनःप्राप्ति को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा, विशेष रूप से कम अनुपालन वाले क्षेत्रों में वार्ड स्तर के अभियानों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर समर्थन, स्वच्छता दूतों, स्वयं सहायता समूहों और आरडब्ल्यूए के माध्यम से हरा गीला, सूखा नीला जैसे सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों में तेज़ी लाई जा रही है।

इन पहलों का समर्थन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने आईईसी घटक के तहत 3040.30 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है, जिसमें से 2934.35 करोड़ रुपये की कार्य योजनाओं को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

मंत्रालय ने पहलों को बढ़ाने के लिए अभिनव जुड़ाव माध्यमों, अभियान डिजाइन, संदेश कार्यनीतियों और हितधारकों की भागीदारी पर राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) फ्रेमवर्क जारी किया है।

(घ) और (ड.): राजमुंदरी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, एसबीएम-यू 2.0 के तहत 95 टीपीडी खाद संयंत्र, 76 टीपीडी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ और 43.27 टीपीडी सैनिटरी लैंडफिल स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकार से राजमुंदरी में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र अथवा बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिए मंत्रालय में कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

*****